न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 844 / 2019

अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. बादु देवी पत्नी गोरीशंकर जाति जाट निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/10/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के खाता स0 47 / 48 व नवीनतम खाता स0 46 की कुल 13. 3280 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार होने के कारण सींव लगान काश्त आदि का झगड़ा रहता है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव से सहमत होते हुए कथन किया वाद भूमि को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के खाता स0 47/48 व नवीनतम खाता स0 46 की कुल 13.3280 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के खाता स0 47/48 व नवीनतम खाता स0 46 की कुल 13.3280 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 नत्थुराम पुत्र लेखराम सम्पूर्ण हिस्सा कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा गोरखाना– ख0न0 220/2 की 0.758 हैक्ट, 219/2 की 0.569 हैकट, 240/2 की 0.520 हैक्ट, 249/2 की 1.700 हैक्ट, 188/2 की .927 हैक्ट, 201/2 की 1.431 हैक्ट कुल किता 6 रकबा 5.905 हैक्ट

2 गोपीराम पुत्र लेखराम सम्पूर्ण हिस्सा कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंदरपुरा– ख0न0 220/1 की 1.012 हैक्ट, 219/1 की .759 हैक्ट, 240/1 की 0.858 हैक्ट, 249/1 की 1.170 हैक्ट, 188/1 की 1.817 हैक्ट, 201/1 की 0.542 हैक्ट कुल किता 6 रकबा 6.158 हैक्ट

3 बादु देवी पत्नी गौरीशंकर हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा0 बालासर खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना– ख0न0 249/3 की 1.265 हैक्ट कुल किता 1 रकबा 1.265 हैक्ट बारानी।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:14 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 844/2019

अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. बादु देवी पत्नी गोरीशंकर जाति जाट निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी निवासी उदासर बड़ा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 844 सन 2019 निर्णय दिनांक 22/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा उदासर तहसील नोहर के खाता स0 47/48 व नवीनतम खाता स0 46 की कुल 13.3280 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 नत्थुराम पुत्र लेखराम सम्पूर्ण हिस्सा कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा गोरखाना– ख0न0 220/2 की 0.758 हैक्ट, 219/2 की 0.569 हैकट, 240/2 की 0.520 हैक्ट, 249/2 की 1.700 हैक्ट, 188/2 की .927 हैक्ट, 201/2 की 1.431 हैक्ट कुल किता 6 रकबा 5.905 हैक्ट

2 गोपीराम पुत्र लेखराम सम्पूर्ण हिस्सा कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंदरपुरा– ख0न0 220/1 की 1.012 हैक्ट, 219/1 की .759 हैक्ट, 240/1 की 0.858 हैक्ट, 249/1 की 1.170 हैक्ट, 188/1 की 1.817 हैक्ट, 201/1 की 0.542 हैक्ट कुल किता 6 रकबा 6.158 हैक्ट

3 बादु देवी पत्नी गौरीशंकर हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा0 बालासर खातेदार रहन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना– ख0न0 249/3 की 1.265 हैक्ट कुल किता 1 रकबा 1.265 हैक्ट बारानी।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:16:14 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर